न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/190/2020
सी एन आर नंबर :— RJBD080005652020

निर्णय दिनांकः—30.04.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 225/2020 अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**हरिओम** पुत्र राधेश्याम, निवासी लेसरदा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अवध बिहारी गुप्ता, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	05.07.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05.07.2020
आरोप पत्र की तिथि	11.12.2020
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथि	11.12.2020
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	27.05.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	30.04.2026
निर्णय की तिथि	30.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	30.04.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	हरिओम	—	—	धारा 341, 323 भा.दं.सं.	दण्डादेश	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ	—

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	डॉ. उमेश कुमार	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.—2	रघुराज सिंह	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.—3	प्रियांशु	शिकायतकर्ता
अ.सा.—4	विष्णु प्रसाद	ताईदी व नक्शा मौक साक्षी
अ.सा.—5	अनिता बाई	नक्शा मौका साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
डी.डब्ल्यू—1	जगदीश	स्वतंत्र साक्षी
डी.डब्ल्यू—2	दीपक	स्वतंत्र साक्षी

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—	—	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	चोट प्रतिवेदन प्रियांशु
2.	प्र.पी.—2	तहरीरी रिपोर्ट
3.	प्र.पी.—3	चाक एफआईआर
4.	प्र.पी.—4	नक्शा मौका घटनास्थल

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

— :: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2020 को परिवादी प्रियांशु पुत्र विष्णुप्रसाद द्वारा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 05.07. 2020 को समय लगभग 11:00 बजे की घटना है। वह रामकिशन के घर के सामने खड़ा था। आम रोड पर सामने से ट्रेक्टर में निर्माण सामग्री भर कर गली में होकर निकल रहा था, तभी अभियुक्त हरिओम ने ट्रेक्टर को रोका और कहा कि मैं यहां से ट्रेक्टर को नहीं निकलने दूंगा और इतना कहकर हरिओम ने उसके लोहे के धारदार हथियार से सिर पर मारी जिससे उसके सिर पर खून निकल गया और उसके बाद उसके पापा उसे अस्पताल लेकर आये। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे, इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—225/2020 अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप मौखिक सारांश अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 04 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया। साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यू—1 जगदीश तथा डी.डब्ल्यू—2 दीपक के बयान लेखबद्ध करवाये गए। तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के समर्थन में पेश गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास रहा है। मौके पर सुशीला बाई पत्नी देवीशंकर के मकान की चद्दरे, परिवादी के ट्रेक्टर के गली में घुसने के कारण टूट गई थी, जिस कारण से मौके पर कहासुनी हुई थी। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा गवाहान जगदीश व दीपक के बयान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाये गए हैं। परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2020 को समय 11:00 बजे या उसके लगभग स्थान रामकिशन के घर के सामने आम रोड पर, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में परिवादी को वांछित दिशा में जाने से निवारित कर स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी के साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 05 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—3 प्रियांशु हस्तगत प्रकरण का परिवादी/आहत है, पी.डब्ल्यू—4 विष्णुप्रसाद परिवादी का पिता होकर चश्मदीद व नक्शे मौके का गवाह है, पी.डब्ल्यू—5 अनिता नक्शे मौके की गवाह है, पी. डब्ल्यू—1 डॉ. उमेश कुमार आहत की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—2 रघुराज सिंह हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम परिवादी पी.डब्ल्यू—3 प्रियांशु के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया है कि दिनांक 05.07.2020 को दिन के ग्यारह बजे की बात है। वह रामकिशन के मकान के सामने खड़ा था। उनके घर पर चुनाई का काम चल रहा था। उनके घर पर चुनाई की सामग्री ट्रेक्टर मय ट्रोली के आम रोड से आ रही थी, तभी अभियुक्त वहां पर आया और उससे कहा कि ट्रेक्टर यहां से नहीं निकलने दूंगा। अभियुक्त ने उसे आडे फिरकर रोक लिया और उसके साथ लात घुसों से मारपीट की। वह चिल्लाया तो उसके पिता विष्णुप्रसाद वहां पर आये। उसके पिता ने बीच बचाव किया। वे वहां से जा रहे थे तो पीछे से अभियुक्त ने उसके लोहे की किसी चीज से सिर पर मारी। उसके पिता ने कहा कि छोरे के मार दी। उसके पिता ने अभियुक्त को रोका तो, अभियुक्त ने उसके पिता के हाथ से मार दी। उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उसके साथ हाथों से मारपीट की, जिससे उसकी छाती, सिर पर चोटें आई। उसके पिता उसे मोटरसाइकिल से क्लिनिक लेकर गए, लेकिन उसके सिर से खून ज्यादा आ रहा था। उसके पिता उसे पाटन अस्पताल लेकर गए। उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल भी करवाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह कथन करता है कि वह साफ्टवेयर इंजीनियर है। उस समय वह लॉक डाउन होने से घर पर था। उसके मकान के आने के दो रास्ते हैं। उस दिन पीछे वाले रास्ते से ट्रेक्टर निर्माण का सामान लेकर आया था। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि सुशीला बाई के मकान के छप्पर के चद्दर ट्रेक्टर से टूट गए हो। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि सुशीला बाई के घर के सामने हाथापाई हुई थी। वह यह नहीं बता सकता कि घटना के समय मौके पर जगदीश, नगवेन्द्र सिंह, शिमला, गोबरीलाल, सोखेन्द्र सिंह मौजूद हो। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि यदि पीछे से कोई किसी को मारे तो आगे वाला यह नहीं बता सकता कि किसने उसे मारा है, फिर स्वयं कहा कि मौके पर वे दो ही लोग थे, फिर खुद कहा कि उस समय उसके पिता वहीं थे। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि गोबरीलाल के मकान के कोटा स्टोन की सीढ़ियां हो उन पर गिरने से उसके चोटें आई हो।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—4 विष्णुप्रसाद, जो कि परिवादी का पिता होकर चश्मदीद व नक्शे मौके का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 05.07.2020 को दिन के ग्यारह बजे की बात है। उनके मकान के पीछे ट्रेक्टर ट्रोली निर्माण सामग्री लेकर उनके निर्माण स्थल पर आ रहे थे। उसका

लड़का प्रियांशु रामकिशन के मकान के पास खड़ा हुआ था, जिसके साथ अभियुक्त लात मुक्को से मारपीट कर रहा था। आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा था। उसके लडके के साथ अभियुक्त मारपीट कर रहा था। उसने बीच बचाव किया था। अभियुक्त ने उसके साथ लात घुसों से मारपीट की। वह और उसका लड़का जा रहे थे, तभी पीछे से अभियुक्त ने लोहे के हथियार से उसके लड़के प्रियांशु के सिर पर मारी। उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की। वह उसके लड़के को अस्पताल लेकर गया था। कोरोना काल होने के कारण उसके लडके के पट्टी बांधी थी। उसके लडके ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह कथन करता है कि ट्रेक्टर गली के नुक्कड़ पर था। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि ट्रेक्टर ने सुशीला बाई के चद्दर तोड़ दिए हो। सुशीला बाई के घर तक ट्रेक्टर नहीं पहुंचा था। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि नक्शे मौके में सुशीला बाई का मकान दर्शित नहीं है। देवीशंकर का मकान दर्शित है। सुशीला बाई देवीशंकर की पत्नी है। गवाह स्वयं को इस बात की जानकारी नहीं होना बताता है कि सुशीला बाई ने चद्दर टूटने की थाने में रिपोर्ट दी हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि सुशीला बाई और उनका थाने में राजीनामा हुआ हो। उसे पता नहीं है कि घटना के समय मौके पर सोखेन्द्र सिंह, जगदीश, नगवेन्द्र सिंह मौजूद हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि वह घटना होने के पश्चात् मौके पर पहुंचा हो, फिर स्वयं कहा कि मौके पर मौजूद था।

13. गवाह पी.डब्ल्यू–5 अनिता, जो कि नक्शे मौके की द्वितीय गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि पुलिस ने उसके सामने लिखा पढ़ी की थी। अभियुक्त ने उसके लड़के व हरिओम के साथ मारपीट की थी। जिसका पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

14. जिरह में गवाह कथन करती है कि वह नक्शे मौके में समझती है। गवाह इस कथन को गलत होना बताती है कि नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। घटना के दिन ही नक्शा मौका बनाया था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. उमेश कुमार अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.07.2020 को सीएचसी के.पाटन में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने थानाधिकारी के.पाटन की तहरीर पर मजरूब प्रियांशु के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या–1 कुचला हुआ घाव 4 गुणा 1 गुणा 1/4 सेमी सिर के बीच, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। बाद एक्सरे प्लेट नंबर 219 व 220 में किसी

प्रकार का अस्थि भंग नहीं पाया गया। चोट कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है।

16. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि चोट प्रतिवेदन में दर्शित चोट गिरने पड़ने से आना संभव है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रघुराज सिंह, हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान करने वाला अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.07.2020 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी प्रियांशु की तहरीर रिपोर्ट पर थानाधिकारी लखनलाल मीणा ने प्रकरण संख्या 225/2020 धारा 341, 323 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 है जिस पर ए से बी कायमी मुकदमा, सी से डी थानाधिकारी लखनलाल मीणा के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—3 पर ए से बी थानाधिकारी लखनलाल मीणा के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 05.07.2020 को परिवादी टिल्लू उर्फ प्रियांश की निशादेही से बनाया जो प्रदर्श पी—4 है। परिवादी प्रियांशु की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। अनुसंधान से अभियुक्त हरिओम के विरूद्ध धारा 341, 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

18. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि नक्शा मौका बनाया तब देवीशंकर के चद्दर टूटे हुए थे। यह तथ्य उसकी जांच के समय उसके समक्ष नहीं आये थे कि परिवादी के पिता विष्णुप्रसाद निर्माण सामग्री ट्रेक्टर से ले जाते हुए देवीशंकर का चद्दर टूटा कि नहीं। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि घटनास्थल के आस—पास रहने वालों देवीशंकर, रामकिशन, जगदीश, गोबरीलाल, भंवरलाल से कोई पूछताछ नहीं की और न ही उनके बयान लेखबद्ध किए। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जांच के दौरान उसने किसी को स्वतंत्र गवाह से अनुसंधान नहीं किया, फिर स्वयं कहा कि परिवादी ने कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि अनुसंधान के दौरान परिवादी के गोबरीलाल की सीढ़ी से गिरने से चोट आई हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि उसने मौके पर जाकर कोई अनुसंधान नहीं किया हो और अभियुक्त के विरूद्ध कोई जुर्म प्रमाणित नहीं पाया हो।

19. प्रकरण में अभियोजन कहानी के समर्थन में पेश गवाह परिवादी पी. डब्ल्यू—3 प्रियांशु द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में यह तथ्य प्रकट किया है कि घटना की दिनांक को उसके घर पर चुनाई का काम चल रहा था, तब उसकी चुनाई की सामग्री ट्रेक्टर मय ट्रोली में भरकर आम रोड से आ रही थी, तब अभियुक्त हरिओम द्वारा उस ट्रेक्टर को वहां से नहीं निकालने दिया और परिवादी को रोककर उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव में आये परिवादी के पिता विष्णुप्रसाद के साथ भी मारपीट की तथा अभियुक्त ने परिवादी के सिर पर लोहे की किसी चीज से मारी, जिससे उसके सिर पर चोट आई।

20. उल्लेखनीय है कि जहां परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मात्र परिवादी के साथ मारपीट करना बताया है, जबकि न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर परिवादी अभियुक्त द्वारा परिवादी के पिता के साथ भी मारपीट करना दर्शाता है, जिससे परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष बढ़ चढ़कर बयान दिया जाना प्रकट आता है। जिरह में हालांकि गवाह से इस बाबत् प्रश्न पूछे गए हैं कि उसके ट्रेक्टर के मौके पर आने से सुशीला बाई पत्नी देवीशंकर के चद्दर टूट गए थे, जिसे गवाह पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है और गवाह इस तथ्य को भी गलत होना बताता है कि गोबरीलाल के मकान के कोटा स्टोन की सीढ़ियों पर गिरने से उसके चोट आई और अभियुक्त पक्ष की प्रतिरक्षा यही रही है कि चूंकि जब परिवादी का ट्रेक्टर चुनाई की सामग्री लेकर आ रहा था तो सुशीला बाई पत्नी देवीशंकर के मकान के चद्दर टूट गए थे, जिससे सुशीला बाई के साथ कहासुनी हुई थी और सुशीला बाई की ओर से परिवादी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था, परन्तु उक्त गवाह अपनी जिरह में सुशीला बाई के मकान की चद्दरे टूटना पूर्ण रूप से इंकार करता है। गवाह की जिरह में इस बाबत् कोई विरोधाभास नहीं आया है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त हरिओम द्वारा उक्त गवाह का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।

21. उक्त के क्रम में गवाह का पिता पी.डब्ल्यू—4 विष्णुप्रसाद भी अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में परिवादी द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करता है। हालांकि उक्त गवाह ने भी अभियुक्त हरिओम द्वारा उक्त गवाह विष्णुप्रसाद के साथ भी मारपीट का नया तथ्य अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है, परन्तु उक्त गवाह से भी अभियुक्त द्वारा पूर्व में ली गई प्रतिरक्षा कि सुशीला बाई की चद्दरे परिवादी के ट्रेक्टर से टूटने के कारण मौके पर कहासुनी हुई थी, को गवाह पूर्ण रूप से इंकार करता है और इस तथ्य को भी गवाह स्वयं को ज्ञात नहीं होना बताता है कि सुशीला बाई ने परिवादी पक्ष के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज कराया हो और उक्त गवाह इस तथ्य से पूर्णतः इंकार करता है कि सुशीला बाई और परिवादी पक्ष का थाने में राजीनामा हुआ हो। उक्त गवाह की जिरह में इस बाबत् कोई विरोधाभास नहीं आया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी

प्रियांशु का रास्ता रोककर परिवादी प्रियांशु के साथ मारपीट की, परन्तु चूंकि परिवादी तथा उक्त गवाह ने अभियुक्त हरिओम द्वारा गवाह विष्णुप्रसाद के साथ भी मारपीट का भी नया तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट किया है, जबकि तहरीरी रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है। इस कारण से उक्त तथ्य की पुष्टि न्यायालय के समक्ष नहीं हुई है कि अभियुक्त हरिओम द्वारा परिवादी के पिता विष्णुप्रसाद के साथ मारपीट की गई हो।

22. गवाह पी.डब्ल्यू–5 अनिता प्रकरण के नक्शे मौके की गवाह है, जिसने स्पष्ट रूप से नक्शे मौके प्रदर्श पी–4 को पुलिस द्वारा स्वयं के समक्ष बनाया जाना दर्शित किया है और जिरह में घटना के दिन ही नक्शा मौका बनाया जाना गवाह कहती है। हालांकि गवाह इस कथन को गलत होना बताती है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 उसके समक्ष बनाया गया हो, परन्तु चूंकि नक्शे मौके की फर्द गवाह पी.डब्ल्यू–4 विष्णुप्रसाद से उक्त फर्द प्रदर्श पी–4 के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में नक्शे मौके प्रदर्श पी–4 की फर्द भी न्यायालय के समक्ष साबित होती है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. उमेश कुमार द्वारा आहत प्रियांशु का चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया है और चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 के अनुसार उक्त चिकित्सक घटना की दिनांक को परिवादी प्रियांशु के शरीर पर चोटें आना कहता है, जिसे स्वयं परिवादी प्रियांशु व उसके पिता विष्णुप्रसाद ने अपनी साक्ष्य से इस बाबत् साबित किया है कि प्रियांशु के शरीर पर जो चोटें आई थी वे अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट के परिणामस्वरूप आई थी।

24. हालांकि प्रकरण में अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि मौके पर सुशीला पत्नी देवीशंकर के मकान के चद्दर परिवादी के ट्रेक्टर से टूटे थे और इस कारण से हुई कहासुनी में स्वयं परिवादी प्रियांशु धक्का मुक्की में सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में चोटें आई थी और इस बाबत् परीक्षित प्रतिरक्षा साक्ष्य के गवाहान डी.डब्ल्यू–1 जगदीश तथा डी.डब्ल्यू–2 दीपक उक्त तथ्यो की ताईद अपनी मुख्य परीक्षा में करते हैं और कहते हैं कि बयानों से लगभग पांच साल पहले सुबह ग्यारह बजे की बात है। विष्णुप्रसाद के निर्माण के लिए रेत की ट्रोली आई थी, जिसने देवीशंकर के मकान के चद्दर तोड़ दिए। देवीशंकर के चद्दर तोड़ने के बाद वहां पर प्रियांशु, विष्णु देवीशंकर के मकान के पास आ गए और देवीशंकर की पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लग गए। प्रियांशु गुस्से में आकर मारपीट करने के लिए दौडा तो रामकिशन की सीढियों से टकराकर गिर गया, जिससे उसके चोटें आई।

25. अभियोजन अधिकारी की जिरह में उक्त गवाहान अभियुक्त हरिओम को स्वंय का पड़ौसी होना बताते हैं और इस तथ्य से इंकार करते हैं कि अभियुक्त हरिओम ने परिवादी प्रियांशु के साथ मारपीट की हो।

26. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जहां अभियुक्त की मूल प्रतिरक्षा सुशीला बाई पत्नी देवीशंकर के मकान की चद्दरे तोड़ने के कारण कहासुनी होना रहा है। इस संबंध में नक्शे मौके प्रदर्श पी—4 से हालांकि यह प्रकट आया है कि जिस स्थान पर अभियोजन की घटना बताई गई है, उसके पास ही सुशीला बाई पत्नी देवीशंकर का मकान था तथा परिवादी के पिता पी.डब्ल्यू—4 विष्णुप्रसाद से की गई जिरह में यह खुलासा करने की कोशिश की गई है कि सुशीला बाई ने परिवादी पक्ष के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था और उस मुकदमे में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ था, परन्तु उक्त को गवाह ने पूर्णतः इंकार किया है और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कि मौके पर सुशीला बाई से परिवादी प्रियांशु की कहासुनी हुई थी, सुशीला बाई स्वयं महत्वपूर्ण गवाह रही थी जिसे अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित कराया है जिससे सुशीला बाई द्वारा परिवादी पक्ष के विरूद्ध मुकदमा कराया जाना दर्शित हो और ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों को साबित करने का भार अभियुक्त पक्ष पर रहा था जो सक्षम साक्षी की साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं हो सका है, जबकि परिवादी पक्ष के गवाहान ने परिवादी व उसके पिता विष्णुप्रसाद द्वारा अपनी अटल साक्ष्य से घटना की दिनांक को अभियुक्त हरिओम द्वारा परिवादी प्रियांशु का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट किया जाना साबित किया है।

27. जहां तक प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए जाने का प्रश्न है, चूंकि स्वयं परिवादी द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं आया है कि मौके पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने उक्त घटना देखी हो और जबकि परिवादी पक्ष के गवाहान अपनी अटल साक्ष्य से मौके की संपूर्ण घटना को साबित करते हैं, तो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी नहीं होने से भी अभियोजन कहानी पर कोई संदेह नहीं होता है।

28. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2020 को समय 11:00 बजे या उसके लगभग स्थान रामकिशन के घर के सामने आम रोड पर, पुलिस थाना के. पाटन, जिला बून्दी में परिवादी को वांछित दिशा में जाने से निवारित कर स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी के साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की। अतः अभियुक्त को

आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

29. परिणामस्वरूप **अभियुक्त हरिओम** पुत्र राधेश्याम, निवासी लेसरदा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित पेशी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

सजा के बिन्दु पर सुना गया

30. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

31. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त की दोषसिद्धि से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। अभियुक्त वर्ष 2020 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अभियुक्त द्वारा पूर्व दोषसिद्ध नहीं किए जाने या परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथपत्र भी पेश किए गए है। अभियुक्त के चरित्र, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

32. परिणामस्वरूप **अभियुक्त हरिओम** पुत्र राधेश्याम, निवासी लेसरदा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किए जाने पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका छह माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने

पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगा, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 2,000/— रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

33. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

34. बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी अभियोजन व्यय राशि 2,000/—रूपये में से 1,000/—रूपये परिवादी/आहत प्रियांशु को बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा किये जावे तथा शेष राशि 1,000/—रूपये को राजकोष में जमा किया जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

35. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **30 अप्रेल, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी